राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी, जिला जोधपुर।

पीठासीन अधिकारी :–गोपाल परिहार RAS

राजस्व मूल वाद सख्या 52/2018

वादीगण

1. रामसिंह पुत्र प्रतापसिंह, जाति राजपूत, उम्र 62 वर्ष, निवासी– ग्राम सर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. दरियाव कंवर पत्नी भीखसिंह, जाति राजपूत, उम्र 68 वर्ष, निवासी– ग्राम सर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
3. पारस कंवर पुत्री भीखसिंह पत्नी श्री शक्तिसिंह, जाति राजपूत, उम्र 39 वर्ष, निवासी– ग्राम माणकलाव, तहसील व जिला जोधपुर।

प्रतिवादीगण

1. उदयकंवर पत्नी जालमसिंह
2. दुर्गाकंवर पुत्री श्री जालमसिंह
3. छगनकंवर पत्नी भवानीसिंह
4. राणुसिंह पुत्र भवानीसिंह
5. जितेन्द्रसिंह पुत्र भवानीसिंह
6. उमरावसिंह पुत्र भवानीसिंह
7. सुगनकंवर पुत्री भवानीसिंह
8. सरदारकंवर पत्नी बाघसिंह
9. गायड़सिंह पुत्र बाघसिंह

जातियान राजपूत, निवासीगण ग्राम सर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी

खातेदार घोषित करने हेतु घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु का वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थिति:

1. वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री उर्जाराम पटेल, प्रहलाद सिंह
2. प्रतिवादीगण की ओर से सुचना वावजूद अनुपस्थित।
3. प्रतिवादी सख्या 10 की ओर से राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 21/10/2022

वादीगण ने एक वाद बाबत खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर कथन किया कि वादीगण के पूर्वज की जमीन खेत खसरा सख्या 282 रकबा 25 बिघा 5 बिस्वा भुमि, खसरा न. 579 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा भुमि, खसरा न. 366 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा भुमि कुल 3 खसरा कुल रकबा 44 बीघा 11 बिस्वा भूमि वाके ग्राम सर, पटवार क्षैत्र सरेंचा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र फींच, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में आया हुआ हैं। उक्त खसरों में प्रताप सिंह के हिस्सों में 22 बीघा 5 बिस्वा 5 बिस्वांसी भूमि आती हैं, जिस पर कब्जा काश्त करता आ रहा हैं। उसके बाद प्रताप सिंह की मृत्यु हो गई तथा इनके तीन संतान हैं उमें से रामसिंह, भीखसिंह व सिमरथ सिंह हैं, जिसमें से भीखसिंह का देहान्त हो चुका हैं, जिसके जायन्दा वारीसान दरियाव कंवर व पारस कंवर हैं। वक्त सेटलमेंट से पहले ही भूमि खसरा सख्या 282 व 579 पर वादीगण व

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

प्रतिवादिगण के पूर्वज भोपाल सिंह बतौर जागीदार काश्त करते हैं। जिनके दो पुत्र रावतसिंह व प्रताप सिंह थे। भोपालसिंह की मृत्यु के पश्चात रावतसिंह बडा पुत्र होने के कारण सेटलमेंट के बाद उक्त भूमि में अधिकारियों से मिली भगत कर बिना जांच किये गलत तरीके से खसरा न. 282 व 579 जमीन का नामान्तरण अपने नाम दर्ज करवा लिया हैं जो विधि विरूद्ध हैं जबकि प्रत्येक का हिस्सा आता हैं। वादीगण का खातेदारी अधिकार जन्म से ही था, जिसका प्रतिवादीगण द्वारा सम्पूर्ण हिस्सा अपने नाम दर्ज करवा लिया हैं जो विधि विरूद्ध हैं जबकि प्रत्येक का हिस्सा आता हैं, वादीगण का खातेदारी अधिकार जन्म से ही था, जिसका प्रतिवादीगण द्वारा सम्पूर्ण हिस्सा अपने नाम दर्ज करवाने का कोई हक अधिकार नही है। वादीगण के पिता अनपढ थे वादीगण को राजस्व अभिलेख में वादीगण का नाम दर्ज करवाने हेतु कई मर्तबा प्रतिवादीगण से कहा मगर प्रतिवादीगण ने आज दिन तक राजस्व अभिलेख में वादीगण का नाम बहैसियत खातेदार काश्त का दर्ज नही करवाया। अतः वादीगंण के पास वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया हैं। वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आज्ञाप्तिक वह वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की पारित कर यह घोषणा की जावे कि वादीगण का खसरा न. 282 व 579 में गांव सर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर उक्त खसरों में पूर्व का नामांतरण निरस्त कर अपने हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने का न्यायोचित आदेश फरमावे। स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि प्रतिवादीगण सख्या 1 से 9 उपरोक्त खसरान में किसी प्रकार का हस्तक्षेप व भूमि अन्तरित नहीं करे जहा तक वादग्रस्त जायदाद का निस्तारण नहीं हो सम्पति को किसी को आन्तरण नहीं करे। अन्य दादरसी जो वादीगण के पक्ष में सादिर फरमावे जावे।

वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर कर सम्बन्धित पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नोटिस बाद तामिल लौटे परन्तु प्रतिवादीगण अनुपस्थित होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। इस कारण से तनकीयात कायम नही की गयी। वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेंज से स्पष्ट है कि वक्त सेटलमेन्ट से ही वादीगण के पूर्वजो के नाम दर्ज नही है तथा तमाम दस्तावेज प्रतिवादीगण के पूर्वजो के नाम से है। चूंकि वाद दर्ज होने के बाद से ही अनेक बार प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस से सुचना देने के बावजूद कोई उपस्थित नही हुए और न ही उनकी ओर से कोई पैरोकार उपस्थित हुवे।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

वक्त सेटलमेंट से आदिनांक तक राजस्व रेकर्ड मे वादीगण के नाम दर्ज नही है। तथा प्रतिवादीगण के पूर्वजों सहित नाम दर्ज हैं। ऐसी स्थिति मे प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई, तथा सम्पूर्ण रेकर्ड का अवलोकन किया गया तथा वादीगण के बयान आदि व साक्ष्य शपथ पत्रों पर भी विचार किया गया। चूँकि वक्त सेटलमेट से ही वादीगण का राजस्व रेकर्ड मे नाम दर्ज नही होने व पर्याप्त प्रमाण के अभाव मे वादीगण को खातेदारी दिया जाना सम्भव प्रतीत नही होता हैं ऐसी स्थिति मे वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार नही किया जा सकता है।

अतः–वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद सारहीन होने से खारिज किया जाता है डिक्री पर्चा जारी हो पत्रावली फेसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर एंव नम्बर से कम हो।

(गोपाल परिहार RAS)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

अतः निर्णय आज दिनांक 21/10/2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया,

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

डिकरी बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 52/2022

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
01.रामसिह पुत्र प्रतापसिह जाति राजपूत उम्र 62 वर्ष निवासी ग्राम सर तहसील लूणी जिला जोधपुर। 02.दरियाव कंवर पत्नि भीखसिह जाति राजपुत उम्र 68 वर्ष निवासी ग्राम सर तहसील लूणी जिला जोधपुर। 03.पारस कंवर पुत्री भीखसिह पत्नी श्री शाक्तिसिह जाति राजपूत उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम माणकलाव तहसील व जिला जोधपुर।		1. उदयकंवर पत्नी जालमसिंह 2. दुर्गाकंवर पुत्री श्री जालमसिंह 3. छगनकंवर पत्नी भवानीसिंह 4. राणुसिंह पुत्र भवानीसिंह 5. जितेन्दसिह पुत्र भवानीसिह 6. उमरावसिह पुत्र भवानी सिह 7. सुगनकवंर पुत्री भवानी सिह 8. सरदारकंवर पत्नी बाधसिह 9. गायडसिह पुत्र बाधसिह जाति राजपुत निवासीगण सर तहसील लूणी 10. तहसीलदार लूणी

दावा अंतर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 52/2018 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुददई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि

अतः पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेंज से स्पष्ट है कि वक्त सेटलमेन्ट से ही वादीगण के पूर्वजो के नाम दर्ज नही है तथा तमाम दस्तावेज प्रतिवादीगण पूर्वजो के नाम से है ऐसी स्थिति मे वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार नही किया जा सकता है। अतः–वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

नीज.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकुदमें के मय सूद व वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक.....को अदा करें।

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 2/8/2022 को जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

मुद्दाई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प			स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प		
वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिष्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान			बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

Scanned by CamScanner